पत्र संख्या–6/योजना–01–29/2014 गृ0आ0........................../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत चालू योजनान्तर्गत ₹ 52.00 लाख (बावन लाख रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्रांक–879, दिनांक–25.02.2016 के संबंध में कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–7013, दिनांक–08.09.2013 द्वारा राज्य के भवन विहीन, ओ0पी0 एवं पुलिस लाईन के भवन निर्माण, बैरक, पुलिस आवासीय भवनों आदि के निर्माण हेतु कुल लागत राशि ₹ 42665.088 लाख (चार सौ छब्बीस करोड़ पैंसठ लाख आठ हजार आठ सौ रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 16034.195 लाख (एक सौ साठ करोड़ चौंतीस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ रू0) विमुक्त की गयी थी। उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट–4 में अनुसूचित जाति/जन जाति एवं महिला थाना भवन निर्माण हेतु ₹ 4416.60 लाख (चौवालीस करोड़ सोलह लाख साठ हजार रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 2416.60 लाख (चौबीस करोड़ सोलह लाख साठ हजार रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति भी शामिल है। उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट–4 में अनुसूचित जाति/जन जाति एवं महिला थाना भवन निर्माण हेतु शेष देय राशि ₹ 2000.00 लाख (बीस करोड़ रू0) में से चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 52.00 लाख (बावन लाख रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 52.00 लाख (बावन लाख रू0) राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या–22 मुख्य शीर्ष–"4055–पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0101–पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण" विषय शीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड–P4055007890101 राज्य योजना स्कीम कोड–HOM–5420 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. भवन का निर्माण कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जायेगा।

5. राशि की निकासी कर निगम के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

6. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहीत विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

7. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:–6/योजना–01–29/2014 गृ0आ0.....2416...../पटना, दिनांक 29 मार्च 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.16
सरकार के प्रधान सचिव